

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 240 / 2014 / भरतपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, भरतपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्री बालाजी सीमेंट एजेंसी,

न्यू हॉस्पिटल रोड़, भरतपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17 / 09 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 53/उपा-भरत/2012-13 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.06.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, भरतपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि 2009-10 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23/24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 31.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान सीमेंट की बिक्री की गयी थी, उसमें जो सीमेंट खरीद की गयी थी उन विक्रेता फर्मों द्वारा व्यवसायी को रिबेट एवं डिस्काउण्ट दिया गया था। इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी ने क्रय राशि से कम राशि पर माल का विक्रय होना एवं रूपये 4,46,365/- की व्यापार खाते में हानि दर्शाने को गलत मानते हुए इस हानि की राशि पर 14 प्रतिशत से कर रूपये 62,491/- आरोपित किया, जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील स्वीकार कर आरोपित कर को अपास्त किया है जिसके विरुद्ध राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
3. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को उचित बताते हुए अपीलीय आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।




लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वर्ष 2009-10 के दौरान अर्थात् दिनांक 09.03.2011 के पूर्व के मामले में किसी भी तरह के डिस्काउण्ट प्राप्त होने पर उनके आउटपुट टैक्स से अधिक आई.टी.सी. को न तो रिवर्स किया जा सकता है एवं ना ही इसे हानि मानते हुए करारोपण किया जा सकता है, फलतः कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अविधिक होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे अपास्त किये जाने में कोई भूल नहीं की गयी है।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. सर्वप्रथम रिकॉर्ड के अवलोकन से पाया गया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में कुल रिबेट एवं डिस्काउण्ट को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए करारोपण किया जाना बताया है, वह भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इस प्रकरण में वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश में यह अंकित किया है कि रुपये 4,46,635/- को व्यापार खाते में हानि दर्शाई है इस राशि को विक्रय राशि का हिस्सा मानते हुए इस पर करारोपण किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी का यह आदेश ही मूल रूप से अविधिक आदेश था क्योंकि इस प्रकरण में वास्तव में रुपये 4,36,000/- की जो हानि हुई है वह लेखा-पुस्तकों से प्रमाणित थी क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध व्यवहारी की बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउण्ट एवं प्रोफिट एण्ड लॉस अकाउण्ट से अन्तिम रूप से स्पष्ट था कि व्यवसायी को मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट एवं मैसर्स जे. के. सीमेंट से जो डिस्काउण्ट की राशि प्राप्त हुई थी उससे उसकी हानि समाप्त हो गयी थी। ऐसे प्रकरणों में व्यवसायी द्वारा माल का विक्रय खरीद मूल्य से कम मूल्य पर किया जाकर उसका विक्रेताओं से प्राप्त डिस्काउण्ट की राशि से पुनर्भरण किया जाता है। ऐसे मामलों में चूंकि व्यवहारी द्वारा जो माल का विक्रय किया जाता है वह बिलों में दर्शाई राशि अनुसार ही होता है एवं किसी भी व्यवहारी के विक्रय मूल्य को किसी भी स्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि किसी व्यवसायी द्वारा घोषित किये गये विक्रय मूल्य को ही टर्नओवर का भाग माना जा सकता है जबकि इस प्रकरण में घोषित टर्नओवर में उसकी हानि को भी सम्मिलित किया गया है, जो लेखा प्रणाली एवं विधि के विपरीत है। वेट अधिनियम की धारा 2(36) में 'विक्रय मूल्य' को परिभाषित किया हुआ है उसके अनुसार माल के विक्रय पर जो राशि विक्रेता द्वारा प्राप्त की जाती है वह उसके कुल विक्रय राशि होती है एवं समस्त विक्रय राशियों के जोड़ पर प्राप्त टर्नओवर पर कर देय होता है। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को इस सम्बन्ध में विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया था जो पत्रावली पर उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में उस

 लगातार.....3

जवाब को बिना किसी आधार के ही अस्वीकार करते हुए विक्रय राशि को बढ़ाये जाने में अर्थात् हानि की राशि को विक्रय राशि का मूल्य माने जाने में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा त्रुटि कारित की गयी है। चूंकि अपीलीय अधिकारी द्वारा हानि के बिन्दु को समझे बिना केवल ट्रेड एण्ड डिस्काउण्ट के बिन्दु पर निर्णय दिया गया है, अतः इस आदेश के जरिये स्पष्ट किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा हानि की राशि का विक्रय मूल्य में जोड़ते हुए जो करारोपण किया है वह विधिसम्मत नहीं है एवं यह भी टिप्पणी की जाती है कि दिनांक 09.03.2011 के पूर्व के मामलों में आउटपुट राशि से अधिक आई.टी.सी. को भी रिवर्स नहीं किया जा सकता था। फलतः कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा हानि की राशि को विक्रय मूल्य में जोड़ते हुए जो करारोपण किया गया है वह अपास्त योग्य होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त करारोपण को अपास्त किये जाने की पुष्टि की जाती है।

7. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।
8. निर्णय सुनाया गया।


(क. एल. जैन)
सदस्य